न्यायालय उपखण्ड अधिकरी बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)

संशोधित निर्णय द्वारा :– डॉ. अमित यादव आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 32/2015

दायर दिनांक :– 05.10.2015
फैसल दिनांक :–14.06.2016

1. श्रीमती लाटकी पत्नी गुमानेंग जाति पटेल निवासी छींछ तहसील बागीदौरा।

बनाम

1. श्रीमती कचरी पिता नाथु जाति भील निवासी छींछ तहसील बागीदौरा।

<u>वद अन्तर्गत धारा 188, 209 रा0का0अधिनियम</u>
<u>संशोधित निर्णय</u>

दिनांक :– 15.04.2019

राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 के तहत् दिनांक 14.06.2016 को प्रकरण में विस्तृत निर्णय पारित कर वाके ग्राम छींछ पटवार हल्का छींछ तहसील बागीदौरा की आराजी सर्वे नम्बर 3777 रकबा 1.55 है0 भूमि में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई की वादी के खसरा नम्बर 3777 रकबा 1.55 है0 जो कि राजस्व नक्शे मे दर्ज है, पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे तथा काश्त करने में स्वंय या अन्य किसी के द्वारा कोई व्यवधान पैदा न करे। साथ ही वादी भी स्वंय के खाते की आराजी नम्बरी 3777 रकबा 1.55 है0 पर राजस्व नक्शे अनुसार ही काश्त करे। निर्णय खुले इजलास सूनाया गया।

तद्पश्चात दिनांक 28.12.2018 को वादी अधिवक्ता श्री महेन्द्र गांधी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. वास्ते संशोधित निर्णय का प्रस्तुत कर निवेदन किया दिनांक 14.06.2016 को पारित निर्णय में वादग्रस्त सर्वे नम्बर 3377 रकबा 1.50 है0 के स्थान पर लिपिकिय भूल से सर्वे नम्बर 3777 रकबा 1.50 है0 टंकित कर दीया जो की गलत है, वादग्रस्त सर्वे नम्बर 3377 रकबा 1.50 है, जिसका संशोधित निर्णय व डिकि पारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की बहस सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का ध्यानपूर्वक मनन/अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट प्रतित होता है की दिनांक 16.06.2016 को पारित निर्णय में लिपिकिया भूल से वादग्रत आराजी नम्बर 3377 के स्थान 3777 टंकित किया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली तलब की जाकर संशोधित निर्णय पारति किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(डॉ. अमित यादव)IAS
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा, जि. बांसवाड़ा

आदेश

वाके ग्राम छींछ पटवार हल्का छींछ तहसील बागीदौरा की आराजी सर्वे नम्बर 3377 रकबा 1.55 है0 भूमि में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के खसरा नम्बर 3377 रकबा 1.55 है0 जो कि राजस्व नक्शे मे दर्ज है, पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे तथा काश्त करने में स्वंय या अन्य किसी के द्वारा कोई व्यवधान पैदा न करे। साथ ही वादी भी स्वंय के खाते की आराजी नम्बरी 3377 रकबा 1.55 है0 पर राजस्व नक्शे अनुसार ही काश्त करे।

उपरोक्त संशोधित निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. अमित यादव)IAS
उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा,जि.बांसवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा, जि. बांसवाड़ा (राज.)